ऑन लाईन नं. RCMS 2021/48

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 22/2021

1. जयचन्द पुत्र स्व. देवीलाल निवासी चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. इन्द्रजीत पुत्र श्री पतराम, जाति जाट, निवासीा 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर दिनांक 22.04.2021 प्रकरण संख्या 01/2021 अनवानी इन्द्रजीत बनाम जयचन्द , जिसके द्वारा तहसीलदार ने विधि विरूद्व रूप से अपीलार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1. श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

::आदेश :: दिनांक :–13.08.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2021 विरूद्व कानून, अभिलेख एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्वान्तों के होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 05.02.2021 को पारित आदेश के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत् न्यायिक प्रकिया अपनाई जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 08.03.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि प्रार्थी के द्वारा जो रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्णित कृषि भूमि पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश चल रहा है जिस कारण प्रार्थना पत्र में स्थगन के प्रभावी रहते रास्ते खुलवाये जाने सम्बन्धी कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र कमांक 258/21 दिनांक 18.03.2021 के माध्यम से नायब तहसीलदार, बींझबायला से रास्ते के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिस पर नायब तहसीलदार बींझबायला द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पत्र कमांक 425/21 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में सरसों की फसल खड़ी है तथा किला नम्बर 5 में कमरा निर्मित है। इसके अतिरिक्त यह भी अंकित किया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश प्रभावी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्यात्मक रिपोर्ट आ चुकी थी, कि अपीलांट की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में फसल काश्त है तथा कोई रास्ता संचालित नहीं है एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश भी प्रभावी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर मनमाने ढंग से उक्त समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलांट की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जिस भूमि में से रास्ता संचालित

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

करवाना चाहा गया है अर्थात मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा उक्त भूमि में से 0.075 हैक्टर कृषि भूमि जरिये दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 14.06.2007 को राकेश कुमार से क्रय करना बताया गया है। उक्त तथ्य रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र दिनांक 15.03.2021 को श्रीमान न्यायालय के समक्ष अंकित कराते हुए प्रस्तुत किये गये जिसका आधार लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाना उचित मानते हुए आदेश दिनांक 22.04.2021 में भी अंकित किया गया परन्तु धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई काश्तकार रास्ता खुलवाये जाने का तभी अधिकारी होता है जब कोई अन्य काश्तकार अपनी कृषि भूमि में से अपने कोई रास्ता पूर्व में संचालित रहा हो तथा उसे वह अवरोधित कर देता है, मगर उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा 2–2 बिस्वा रास्ता संचालित होने वाली कृषि भूमि स्वयं द्वारा काश्त करना बताया गया है अर्थात वह स्वयं ही उक्त भूमि का मालिक है। इस प्रकार धारा 251 राज. काश्त. अधि. प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में समक्ष नहीं था अर्थात प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही नहीं था। उक्त आपत्ति अपीलांट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित की गई, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर उक्त विधिक तथ्यों को अन्देखा कर विधि विरूद्व आदेश दिनांक 22.04.2021 पारित कर दिया गया। मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 सालम कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है जिसकी फसली गिरदावरी पटवारी हल्का बख्तावरपुरा द्वारा अपीलांट के नाम जारी की जाती रही है जिसमें समस्त कृषि भूमि में फसल अंकित की जाती रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में कभी कोई रास्ता संचालित नहीं रहा तथा पटवारी हल्का के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.03.2021 में भी उक्त कृषि भूमि में सरसों की फसल काश्त दिखाई गई है, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नहीं होना पाया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 24.03.2021 को पत्र क्रमांक 265/21 जारी कर नायब तहसीलदार बींझबायला से पूर्व में जारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 को मध्यनजर रखते हुए अपने मनमुताबिक रिपोर्ट जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में ही पुनः मंगवाई गई तथा दिनांक 06.04.2021 की रिपोर्ट में एक नवीन पंक्ति जोड़ दी गई जिसमें यह अंकित किया गया कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में रास्ता 15–16 वर्षो से चल रहा था, जो एक वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया शेष तथ्य पूर्व में जारी रिपोर्ट दिनांक 23.03.2021 अनुसार ही यथावत रखे गये। नायब तहसीलदार , बींझबायला द्वारा अपीलांट को मौके पर उपस्थित होने हेतु कोई सूचना नहीं दी गई, बल्कि उनके द्वारा अपनी इच्छानुसार पुनः नई रिपोर्ट तैयार कर अपने पक्ष के गवाहों के हस्ताक्षर करवा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अनुचित प्रभाव में आकर उसे निजी लाभ पहुंचाने हेतु अपीलांट की कृषि भूमि में से विधि विरूद्व रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अनुचित राजनैतिक प्रभाव में आकर विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा कॉरोना जैसी महामारी के दौरान दिनांक 18.04.2021 को जारी परिपत्र क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 में यह निर्देशित किया गया कि कोविड–19 से सम्बन्धित कार्यालयों के अतिरिक्त कोई अन्य सरकारी कार्यालय नहीं खोले जायेगें, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश को नजर अंदाज कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को लाभ पहुंचाने की नीयत से दिनांक 22.04.2021 को बिना बहस का अवसर प्रदान किये , मनमाने ढंग से बहस सुनी जाना अंकित कर अपीलांट की कृषि भूमि में से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित कर दिया गया तथा दिनांक 26.04.2021 को नायब तहसीलदार बींझबायला को दो दिवस में अति आवश्यक रूप से रास्ता खुलवाने हेतु आदेशित कर दिया गया जिस कारण अपीलांट को ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करनी कोविड–19 जैसी महामारी में भी प्रस्तुत की जानी अति आवश्यक हो गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट सिद्व होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलांट को बिना सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये आदेश दिनांक 22.04.2021 पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किये गये विधि विरूद्व आदेश दिनांक 22.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें व अन्य कोई न्यायसंगत आदेश, जो अपीलार्थी के पक्ष में हो पारित किया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 05.02.2021 को पारित आदेश के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत् न्यायिक प्रकिया अपनाई जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 08.03.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया कि प्रार्थी के द्वारा जो रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्णित कृषि भूमि पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश चल रहा है जिस कारण प्रार्थना पत्र में स्थगन के प्रभावी रहते रास्ते खुलवाये जाने सम्बन्धी कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र कमांक 258/21 दिनांक 18.03.2021 के माध्यम से नायब तहसीलदार, बींझबायला से रास्ते के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिस पर नायब तहसीलदार , बींझबायला द्वारा दिनांक 23.03.2021 को पत्र कमांक 425/21 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में सरसों की फसल खड़ी है तथा किला नम्बर 5 में कमरा निर्मित है। इसके अतिरिक्त यह भी अंकित किया गया कि माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर का स्थगन आदेश प्रभावी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा उक्त भूमि में से 0.075 हैक्टर कृषि भूमि जरिये दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 14.06.2007 को राकेश कुमार से कय की गई है। 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई काश्तकार रास्ता खुलवाये जाने का तभी अधिकारी होता है जब कोई अन्य काश्तकार अपनी कृषि भूमि में से अगर कोई रास्ता पूर्व में संचालित रहा हो तथा उसे वह अवरोधित कर देता है, किन्तु उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा 2–2 बिस्वा रास्ता संचालित होने वाली कृषि भूमि स्वयं द्वारा कय करना बताया गया है अर्थात वह स्वयं ही उक्त भूमि का मालिक है। इस प्रकार धारा 251 राज. काश्त. अधि. प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 2 विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में समक्ष नहीं था अर्थात प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही नहीं था। मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 सालम कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम दर्ज है जिसकी फसली गिरदावरी पटवारी हल्का ,बख्तावरपुरा द्वारा अपीलांट के नाम जारी है जिसमें समस्त कृषि भूमि में फसल अंकित की जाती रही है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट जब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में नहीं होना पाया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 24.03.2021 को पत्र कमांक 265/21 जारी कर नायब तहसीलदार बींझबायला से पूर्व में जारी रिपोर्ट दिनांक 13.07.2020 को मध्यनजर रखते हुए अपने मनमुताबिक रिपोर्ट जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में ही पुनः मंगवाई गई तथा दिनांक 06.04.2021 की रिपोर्ट में एक नवीन पंक्ति जोड़ दी गई जिसमें यह अंकित किया गया कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में रास्ता 15–16 वर्षो से चल रहा था, जो एक वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया शेष तथ्य पूर्व में जारी रिपोर्ट दिनांक 23.03.2021 अनुसार ही यथावत रखे गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अनुचित राजनैतिक प्रभाव में आकर विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर बिना विधिक प्रकिया अपनाये अपीलांट को बिना सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये आदेश दिनांक 22.04.2021 पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः तहसीलदार पदमपुर द्वारा पारित किये गये विधि विरूद्व आदेश दिनांक 22.04.2021 को निरस्त फरमाया जावें व अन्य कोई न्यायसंगत आदेश, जो अपीलार्थी के पक्ष में हो पारित किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का गत 14 वर्षो से रास्ता चल रहा था। अपीलांट द्वारा अपनी अपील मीमों में राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थगन होना बताया गया है उसमें अपीलांट द्वारा स्वयं को व अपने पिता को पार्टी बनाई जाकर स्थगन प्राप्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट उक्त प्रकरण में पार्टी ही नहीं था। जिस कारण राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थगन आदेश उन पर लागू नहीं होता है। नायब तहसीलदार बींझबायला द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.04.2021 में स्पष्ट अंकित किया है कि रास्ता गत 14–15 वर्षो से चल रहा था , जो एक वर्ष पूर्व ही बन्द किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.04.2021 द्वारा चक 36 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा उतरी पासा की भूमि में रास्ता चालू करवाये जाने एवं उक्त रास्ता की जगह में किये गये अतिक्रमण अवरोध को हटाये जाने के आदेश दिये गये है न कि नवीन रास्ता स्वीकृत करने के। तहसीलदार पदमपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.04.2021 से जो अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी मय हर्जाना खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पदमपुर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर दिनांक 22.04.2021 को रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। विवादित रास्ता के सम्बन्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3,4,5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा उक्त भूमि में से 0.075 हैक्टर कृषि भूमि जरिये दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 14.06. 2007 को राकेश कुमार से कय की हुई है जिसका अमलदरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा रजि0 बैयनामा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवाया गया। रिपोर्ट नायब तहसीलदार बींझबायला दिनांक 06.04.2021 में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित रास्ता गत 14–15 वर्षो से चल रहा होना बताया है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के पत्रांक 18.05.2020 के निर्देशों की पालना मौका की जांच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर चक 36 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 3 ता 5 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा उत्तरी पासा की भूमि में रास्ता चालू करवाये जाने एवं उक्त रास्ता की जगह में किये गये अतिक्रमण अवरोध को हटाये जाने के आदेश विधि सम्मत् है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अनुचित है। फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर